

बिहार सरकार  
योजना एवं विकास विभाग  
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय  
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-1, अररिया  
निविदा आमंत्रण सूचना उएसंख्या- 52 वर्ष 2018-19

1. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता : कार्यपालक अभियन्ता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-1, अररिया।
2. परिमाण विपत्र बिक्री करने की तिथि एवं समय : दिनांक 21.01.2019 से 22.01.2019 (1:00 बजे अपराह्न तक)।
3. निविदा जमा करने की तिथि एवं समय : दिनांक 23.01.2019 को 3:00 बजे अपराह्न तक
4. निविदा खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक 23.01.2019 को 3:30 बजे अपराह्न से  
: 1. संबंधित सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-1, अररिया।  
(मुख्यालय में)  
2. कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-1, अररिया  
3. अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, पूर्णियां
5. परिमाण विपत्र की बिक्री का स्थान : उपरोक्त कॉलम पाँच के अनुसार।
6. निविदा जमा करने का स्थान : उपरोक्त कॉलम पाँच के अनुसार।
7. कार्यों की विवरणी(योजना/शीर्ष/मद का नाम) : **मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना**

क्र०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख रु. में)	अग्रधन की राशि (रुपये में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रुपये में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि (माह में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
<b>अररिया विधान सभा</b>						
1	अररिया प्रखण्ड अन्तर्गत खरैया बस्ती वन विभाग से दक्षिण एन.एच. 57 से पूरब वाली कब्रिस्तान का 750 फीट घेराबन्दी कार्य।	14.97	30000.00	2500.00	तीन माह	
2	अररिया प्रखण्ड अन्तर्गत अररिया आर.एस. रहिकपुर जाने वाली सड़क में कब्रिस्तान के दक्षिण पश्चिम 800 फीट चहार दिवारी निर्माण कार्य।	14.99	30000.00	2500.00	तीन माह	
3	अररिया प्रखण्ड अन्तर्गत नगर परिषद वार्ड न० 05 में नहर से जटवारा सड़क निर्माण कार्य।	8.22	16500.00	1250.00	तीन माह	
4	अररिया प्रखण्ड अन्तर्गत नगर परिषद वार्ड न० 26 खलीलाबाद कब्रिस्तान का 500 फीट घेराबन्दी कार्य।	10.11	20200.00	2500.00	तीन माह	

5	अररिया प्रखण्ड अन्तर्गत आजाद एकेडमी अररिया के प्रांगन में पूर्व से निर्मित दो भवन के बीच एक कमरे का भवन बरामदा सहित सह नवनिर्मित साईकिल स्टैण्ड के पास चहार दिवारी निर्माण कार्य।	13.21	26500.00	2500.00	तीन माह
6	अररिया प्रखण्ड अन्तर्गत अररिया नगर परिषद के वार्ड नं0- 29 में ककोड़वा मिडिल स्कूल के बगल नदी तरफ से जामे मस्जिद की ओर जाने वाली सड़क में नाला निर्माण कार्य।	14.99	30000.00	2500.00	तीन माह
7	अररिया प्रखण्ड अन्तर्गत नगर वार्ड नं0- 16 में राजा शर्मा के घर से रंजीत पासवान के घर होते हुए एवं कोशी कॉलनी दिवाल से बबलू साह के घर तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	5.32	10700.00	1250.00	तीन माह
8	रामपुर मोहनपुर पूर्वी पंचायत वार्ड नं0- 05 में दो कमरा का शौचालय यूरिनल सहित निर्माण।	5.17	10400.00	1250.00	तीन माह
9	अररिया प्रखण्ड अन्तर्गत अररिया नगर परिषद के वार्ड नं0- 29 में बसंतपुर धार टोला में दो कमरा का शौचालय यूरिनल सहित निर्माण।	5.14	10400.00	1250.00	तीन माह
10	नगर परिषद अररिया सर्वोदय आश्रम से लिंक पथ बैजनाथपुर होते हुए ईट सोलिंग तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	14.99	30000.00	2500.00	तीन माह
11	हरिया पंचायत में 700 फीट कब्रिस्तान का घेराबन्दी कार्य।	14.87	29800.00	2500.00	तीन माह
<b>सिकटी विधान सभा</b>					
12	प्रधानमंत्री सड़क से संजीव सिंह के घर तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य वार्ड नं0- 13 लक्ष्मीपुर।	9.17	18200.00	1250.00	तीन माह
13	विवेक ठाकुर के घर से विपीन ठाकुर के दरवाजे तक पी0सी0सी0 रोड ग्राम पंचायत जागीर परासी वार्ड नं0- 09 में 350 फीट	7.02	14100.00	1250.00	तीन माह

8. निविदा आमंत्रण सूचना एवं परिमाण विपत्र की भाषा सांकेतिक है। निविदा से संबंधित विस्तृत शर्त, नियम, अर्हता, अग्रधन का रूप एवं अन्य जानकारी के लिए कार्यालय सूचना पट एवं परिमाण विपत्र बिक्री स्थल पर सम्पर्क किया जा सकता है।

9. बिहार सरकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 (संशोधित) एवं बिहार लोक निर्माण संहिता के संशोधित नियम 159 (क) के अन्तर्गत स्थानीय अभिकर्ता श्रेणी-4 में अररिया जिला के लिए निबंधित संवेदको से मुहरबंद लिफाफे में क्रमांक 7 में वर्णित योजनाओं (15 लाख रुपये से कम<sup>2</sup> लागत के असैनिक निर्माण कार्य) हेतु

निविदा आमंत्रित है।

10. संवेदको को कार्य स्थल, प्राक्कलन, वचैरी स्थल एवं सामग्री स्थल इत्यादि की स्थिति, निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता की स्थिति से पूर्णरूपेण संतुष्ट होने के पश्चात् ही निविदा में भाग लेने का परामर्श दिया जाता है। इस संबंध में बाद में किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
11. बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम 15 (क) (ii) के अनुसार किसी एक निविदादाता को एक समय में अधिकतम तीन योजनाएँ या योजनाएँ जिनकी कुल लागत 25.00 लाख (पच्चीस लाख) रुपये से अधिक न हो की सीमा तक की योजनाएँ के लिए कार्य आवंटित किया जा सकेगा।
12. (i) राज्य सरकार के किसी विभाग या संस्थान में किसी भी श्रेणी में काली सूची में डाले गये अथवा कार्यों से वंचित (debarred) संवेदक इस निविदा में भाग लेने के योग्य नहीं होंगे।
- (ii) निविदा के लिए जैसे संवेदक अयोग्य समझे जायेंगे जिनको कार्य आवंटन का कायदेश प्राप्त हो चुका है लेकिन 10 दिनों की अवधि बीत जाने के पश्चात भी एकरारनामा कर कार्य प्रारंभ नहीं किए हैं।
- (iii) निविदा सूचना की अन्य सभी शर्तों को पूरा करने के वावजूद, कोई संवेदक निविदा में भाग लेने के योग्य नहीं होंगे यदि :-
- (क) संवेदक के द्वारा किसी निर्धारित प्रपत्र, विवरणी, शपथ पत्र या योग्यता प्रमाण पत्र के रूप में समर्पित किसी कागजात या दस्तावेज में गलत या गुमराह करने वाला तथ्य समर्पित किया गया हो।
- (ख) किसी संवेदक का कार्य निष्पादन का रिकॉर्ड खराब रहा हो। अर्थात्, उन्होंने आवंटित कार्य को अधूरा छोड़ दिया हो, संविदा की शर्तों के अनुसार कार्य सम्यक रूप से पूरा नहीं किया हो, पूर्व से आवंटित किसी कार्य को पूरा करने में गंभीर विलम्ब किया हो, विवाद का इतिहास हो, वित्तीय अक्षमता सिद्ध हुई हो।
- (iv) पार्टनरशिप डीड में अंकित कोई पार्टनर, कम्पनी के प्रबंध निदेशक, सहयोग समिति एवं निबंधित संस्थाओं के पदधारक या इन पदों पर कार्य करने वाले पदधारक पूर्व में ब्लैक लिस्टेड है तो वह फर्म/कम्पनी/सहयोग समिति/निबंधित संस्था निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

### 13. परिमाण विपत्र

- (i) उपरोक्त निविदा परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत डिमांड ड्राफ्ट जो कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, अररिया के पदनाम से भारतीय स्टेट बैंक, अररिया में भुगतये हो, स्वीकार किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में नगद राशि की प्राप्ति कर परिमाण विपत्र की बिक्री नहीं की जायेगी।
- (ii) संवेदक को या संवेदक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को निबंधन प्रमाण पत्र की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न रहने पर ही परिमाण विपत्र निर्गत किया जायेगा।
14. निविदा में संवेदक द्वारा आवश्यक अग्रधन की राशि के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की अभिप्रमाणित एवं स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है :-

#### (i) अग्रधन

- (क) अनुमोदित परिमाण विपत्र के अनुसार 2 (दो) प्रतिशत की दर से अग्रधन की राशि देय होगी। जो न्यूनतम 500 एवं 100 के गुणक में होगी।
- (ख) अग्रधन की राशि जो राज्य के<sup>3</sup>अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, किसान विकास

पत्र अथवा डाकघर के सावधि 1/2/3 वर्षीय सावधि जमा पासबुक के रूप में हो तथा कार्यपालक अभियन्ता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-1, अररिया के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञित (Pledged) हो (मूल में)।

(ग) संवेदक द्वारा जमा किये गये अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार का सूद विभाग द्वारा देय नहीं होगा।

**(ii) जमा किए जाने वाले कागजात**

(क) स्थानीय अभिकर्ता श्रेणी-4 में अररिया जिला हेतु संबंधित पथ प्रमंडल से निर्गत निबंधन प्रमाण-पत्र की प्रति।

(ख) साझेदारी फर्म/कम्पनी के मामले में डीड एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन की प्रति।

(ग) पैन कार्ड की प्रति।

(घ) जी0एस0टी0 निबंधन प्रमाण-पत्र की प्रति।

**(iii) घोषणा का शपथ पत्र (मूल में)**

“मैं अधोहस्ताक्षरी (साफ-साफ बड़े अक्षरों में नाम) .....

सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री .....शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि :-

(क) मेरे/हमारे विरुद्ध किसी प्रकार का आपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

(ख) मुझे/हमें किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा वंचित (Debar), काली सूची में दर्ज (Blacklisted) एवं विगत एक वित्तीय वर्ष के अन्दर एकरारनामा रद्द (Rescind) नहीं किया गया है।

(ग) मेरा कार्य निष्पादन का रिकॉर्ड खराब नहीं है अर्थात्, आवंटित कार्य को अधूरा नहीं छोड़ा है।

(घ) मेरा/हमारा कोई निकटतम संबंधी (अभिप्रेत है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष के संबंधी) संबंधित कार्य प्रमंडल में कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता/प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी/लेखापाल के रूप में कार्यरत नहीं है।

(च) निविदा में संलग्न सभी प्रमाण-पत्र, कागजात, विवरणी सत्य हैं।

उपर्युक्त कंडिका 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने अथवा कंडिका 'च' में से कोई अभिलेख असत्य, नकली, जाली पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार मेरे ऊपर विधि सङ्मत दण्ड, मेरे निबंधन को काली सूची में दर्ज करने, प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होंगे।”

**(iv) प्रतिशत दर निविदा**

(क) कार्य के परिमाण विपत्र की राशि से प्रतिशत के रूप में अधिक, बराबर या कम दर (अंक एवं शब्दों में) अंकित किया जाए।

(ख) कार्य के परिमाण विपत्र में अंकित राशि से 10% (दस प्रतिशत) से कम की निविदित दर अमान्य होगी।

15. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

16. सक्षम प्राधिकार को बिना कोई कारण बताये निविदा के सभी/किन्हीं कार्यों को या किसी

कार्य के किन्ही अंश/अंशों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

**17. निविदा निष्पादन।**

- (i) यदि निविदा की कंडिका संख्या-14 के अनुसार कोई भी कागजात नहीं रहेगा या अधूरा रहेगा तो उसके निविदा को अमान्य कर दिया जायेगा।
- (ii) अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता की अध्यक्षता में गठित निविदा समिति द्वारा (निविदा निष्पादन की प्रदत्त शक्ति के अन्तर्गत) अभिलेखों के जाँचोपरान्त निविदा का निष्पादन किया जायेगा।
- (iii) सफल न्यूनतम दरदाता संवेदक की निविदा आवश्यकतानुसार दर वार्ता के उपरान्त स्वीकार की जायेगी।
- (iv) निविदा में सफल एकाधिक संवेदको से उद्धृत दर समान होने पर लॉटरी (ड्रॉ ऑफ लॉटस) के आधार पर चयनित संवेदक के साथ ही आवश्यकतानुसार दर पर प्रक्रमण (दर वार्ता) किया जायेगा एवं नियमानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा।

**18. एकरारनामा**

- (क) निविदा में सफल संवेदक को कार्य आवंटन की तिथि से 10 दिनों के अन्दर लोक निर्माण विभाग के प्रपत्र एफ-2 (कंडिका-23 विलोपित) पर एकरारनामा कर कार्य प्रारम्भ करना होगा।
- (ख) एकरारनामा करने के उपरान्त मासिक कार्य योजना समर्पित करना होगा।
- (ग) अविलम्ब कार्यस्थल पर कार्य से संबंधित सूचना पट्ट उसके आकार प्रकार एवं उसमें भरे जाने वाले विवरण के संबंध में कार्य के प्रभारी अभियन्ता के निदेशों का पालन करना होगा।

**19. भुगतान की प्रक्रिया**

- (क) कार्य प्रारंभ के पूर्व, कार्य के दौरान यथा प्रत्येक विपत्र के साथ तथा कार्य समाप्ति के उपरान्त, संबंधित कार्य स्थल की फोटोग्राफी/विडियोग्राफी संवेदक को स्वयं करानी होगी एवं उसकी सी0डी0 सम्बंधित सहायक अभियंता के माध्यम से प्रमंडल में जमा करानी होगी। जिसे निर्धारित वेवसाइट पर प्रत्येक विपत्र के साथ अपलोड किया जायेगा अन्यथा इसके अभाव में कार्य का भुगतान रोक दिया जा सकता है।
- (ख) आवंटन उपलब्ध होने पर ही भुगतान किया जायेगा। आवंटन उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में कोई दावा या ब्याज अनुमान्य नहीं होगा।
- (ग) आवंटन उपलब्ध रहने पर विशिष्टियों के अनुरूप कृत कार्य का भुगतान निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा प्रत्येक माह में कम-से-कम एक बार निश्चित रूप से किया जायेगा।

**20. अन्य शर्तें**

- (क) निविदा में निर्धारित अवधि के अन्तर्गत ही कार्य को पूरा करना होगा। विशेष परिस्थिति को छोड़कर, अवधि विस्तार की स्वीकृति नहीं दी जायगी।
- (ख) संवेदक को आवंटित कार्य से संबंधित आवश्यकतानुसार सभी यंत्र-संयंत्र की व्यवस्था स्वयं करनी होगी जिसके लिए किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।
- (ग) कार्यों में प्रयुक्त होने वाले 580/100 ग्रेड पैक्ड बिटुमेन (समकक्ष विस्कोस्टी

ग्रेड के) अथवा सामग्री जो लागू हो के क्रय एवं आपूर्ति की व्यवस्था संवेदक को स्वयं अपनी लागत पर करनी होगी, जिसके लिए उन्हें विभाग से किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा। बिटुमेन का क्रय केवल राष्ट्रीयकृत तेल कम्पनियों से ही करना होगा तथा बिटुमेन क्रय के 48 घण्टे के अंदर कैश मेमो संबंधित सहायक अभियंता के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी सूचित करना होगा।

- (घ) संवेदक के विपत्र से अन्य आवश्यक कटौतियों के अतिरिक्त 1: (एक प्रतिशत) सेस की राशि भवन एवं सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड मद हेतु कटौती की जायेगी।
- (च) ओवर हेड मद के अंतर्गत होने वाले व्यय यथा गुण नियंत्रण, गोदाम निर्माण-सह-स्थल- कार्यालय का निर्माण, बिजली, पानी, पर्यवेक्षण हेतु वाहन एवं वैट इत्यादि का वहन संवेदक द्वारा ही किया जाएगा।
- (छ) प्राक्कलित राशि घट-बढ़ सकती है तथा कार्य स्थल के अनुसार निरूपण में परिवर्तन किया जा सकता है।
- (ज) यह निविदा आमंत्रण सूचना एवं परिमाण विपत्र के साथ निर्गत विशेष शर्त भी एकरारनामा का अंग होगा।

कार्यपालक अभियंता

स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन,

कार्य प्रमंडल-1, अररिया।

*23/12/18*